फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :— श्री मनोहरसिंह | **विपक्षी :— श्री भंवरसिंह**

किस्म मुकदमा — 128 भू.रा.अधि. | **पत्रावली संख्या : 34/19**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 18.11.2021

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान—2021 कैम्प नूरडा में पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित रहे हैं। प्रार्थी की एक तरफ़ा बहस सुनी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि हैं। विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि के पडोसी खातेदार हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। अतः विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित होकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का किसी भी प्रकार से कोई खण्डन नहीं किया जिससे भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को बल मिलता है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि की सीमा को लेकर विवाद होने से पत्थरगढी किया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

—: आदेश :—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा ढाणा, नूरडा पटवार हल्का नूरडा की आराजी नम्बर 2014, 2099, 2151, 2152, 2029, 2023, 2030 किता 7 रकबा 13 बीघा भूमि के चारो दिशाओं की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावे। पत्थ[illegible]तु तहसीलदार मावली को 500/— पांच सौ [illegible] कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है [illegible] सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर [illegible]ना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थी अदा करेगें।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.11.25 12:59:27 IST
Reason: SelfAttested